वर्तमान में हरियाणा गौ सेवा अयोग द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में बेसहारा गौवंश पुनर्वास हेतू आपसी सहमति प्रपत्र/समझोता ज्ञापन

1. गौशाला का नाम .....

2. पता .....

3. पंजीकरण विवरण

   हरियाणा गौ सेवा आयोग से पंजीकरण संख्या .....वर्ष .....

4. गौशाला अध्यक्ष/ प्रबंधक का नाम..... मोबाइल न0.....
   गौशाला सचिव का नाम.....मोबाइल न0.....

5. गौ सेवा आयोग सदस्य/जिला प्रभारी का नाम..... मोबाइल न0.....

6. गौशाला में गौवंश का विवरणः
   गाय.....नन्दी/बैल.....बच्चे.....
   कुल गौवंश..... टैगीग किये गये गौवंश की संख्या.....

7. गौशाला भूमि का विवरण

   क. गौशाला के पास कुल भूमि.....एकड़.....कनाल.....मरले
   ख. गौशाला भवन के लिए कुल भूमि.....
   i) गौवंश शैडों की संख्याः .....क्षेत्रफल (Sqft).....
   ii) चारा गोदामों की संख्याः .....क्षेत्रफल (Sqft).....
   iii) अन्य प्रकार की भूमि/पटटे पर भूमि.....

पशुचिकित्सक
प्रभारी राज्कीय पशुचिकित्सालय.....
जिला.....

8. वर्ष 2023–24 में गौशाला को सरकारी विभाग/निजी कोष से मिले अनुदान का विवरणः–

क्र0 स0	अनुदान देने वाले विभाग का नाम	अनुदान (रूपये में)	अनुदान जिस कार्य के लिए दिया गया।
1.			
2.			
3.			

9. अतिरिक्त बेसहारा गौवंश पुनर्वास हेतु सहमतिः–

क्र0 स0	विवरण	गौवंश की संख्या
1.	अतिरिक्त बेसहारा गौवंश की सख्या जो कि वर्तमान परिस्थितियों में बिना किसी इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान व विशेष चारा अनुदान देने की सहमति पर गौशाला द्वारा लिये जा सकते हैं। (केवल सामान्य चारा अनुदान स्कीमानुसार दिया जाता रहेगा)	
2.	अतिरिक्त बेसहारा गौवंश की सख्या जो कि वर्तमान परिस्थितियों में बिना किसी इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान देने की सहमति पर गौशाला द्वारा लिये जा सकते हैं। (केवल विशेष चारा अनुदान स्कीमानुसार दिया जायेगा)	
3.	अतिरिक्त बेसहारा गौवंश की सख्या जो कि वर्तमान परिस्थितियों में बिना किसी विशेष चारा अनुदान देने की सहमति पर गौशाला द्वारा लिये जा सकते हैं। (केवल सामान्य चारा अनुदान व इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान स्कीमानुसार दिया जायेगा)	
4.	अतिरिक्त बेसहारा गौवंश की सख्या जो कि वर्तमान परिस्थितियों में इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान व विशेष चारा अनुदान देने की सहमति पर गौशाला द्वारा लिये जा सकते हैं।	
	कुल गौवंश	

वर्तमान में हरियाणा गौ सेवा अयोग द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में बेसहारा गौवंश पुनर्वास हेतू आपसी सहमति प्रपत्र/समझोता ज्ञापन

नोटः– 1. गौवंश पूर्नवास के लिए कम से कम 100 गौवंश लेना अनिवार्य है।
2. इन्फ्रास्ट्रकचर अनुदान :– 7000/– रुपये प्रति गौवंश ।
3. प्रतिदिन चारा अनुदान :–
20/– रुपये प्रति गौवंश (एक वर्ष से कम उमर)
30/– रुपये प्रति गौवंश (मादा)
40/– रुपये प्रति गौवंश (नर)
4. विभागीय स्कीम (गौशाला और गौ सदन विकास परियोजना) अनुसार अगर गौशाला योग्य पाई गई तो चारा अनुदान उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

मैं यह ब्यान करता हुं/करती हुं कि मेरे द्वारा ऊपर लिखा गया ब्यौरा मेरे ज्ञान के अनुसार ठीक है तथा गौवंश पुनर्वास हेतु गौशाला प्रबंधन उपरोक्त अनुसार अपनी सहमति प्रदान करता है। मैं यह भी ब्यान करता हुं/करती हुं कि गौवंश पुनर्वास करने उपरान्त गौशाला द्वारा कोई भी गौवंश गौशाला के बाहर नहीं छोडा जायेगा।

इसमें कोई तथ्य गलत व असत्य नहीं है।

गौशाला
प्रबंधक/अध्यक्ष/सचिव
(हस्ताक्षर)

(कार्यालय प्रयोग हेतु)– व्यवहार्यता रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ..... गौशाला/नन्दीशाला का निरीक्षण कर लिया गया है तथा इस गौशाला में.....अतिरिक्त बेसहारा गौवंश रखने का प्रस्ताव व्यवहारिक है।

बिन्दू न0 9 (गौशाला द्वारा अतिरिक्त बेसहारा गौवंश पुनर्वास हेतु सहमति) के अनुसार इस गौशाला में कुल .....बेसहारा गौवंश रखने पर उपरोक्त गौशाला को कैटगरी के अनुसार गणना करके अनुदान सहायता दी जायेगी।

पशुचिकित्सक/उपमण्डल अधिकारी, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग जिला.....	जिला प्रभारी, सदस्य, हरियाणा गौ सेवा आयोग जिला.....	उपनिदेशक–कम–जिला गौवंश विकास अधिकारी,पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग जिला.....